अध्याय-6

सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

अध्याय-6

सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

कोयला खान भविष्य निधि संगठन

कोयला मंत्रालय के अधीन केवल एक स्वायत्त निकाय अर्थात कोयला खान भविष्य निधि संगठन है। यह संगठन निम्नलिखित तीन योजनाओं को प्रशासित करता है :

(क) कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948

(ख) कोयला खान पेंशन योजना, 1998

(ग) कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976
(24.03.2009 से बंद कर दी गयी)

उपर्युक्त तीनों योजनाओं की अलग-अलग विशेषताएं और व्यापक रूपरेखा निम्नवत हैं :

(क) कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948

6.1 कोयला खान भविष्य निधि योजना 1948, जो कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाई गई है, भारत में कोयला खानों के सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि के लाभ प्रदान करती है । नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इस अधिनियम के अधीन नहीं आता है। कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) में कर्मचारी अपनी परिलब्धियों के 12% की दर से अंशदान करते हैं तथा नियोक्ता भी बराबर की राशि का अंशदान करते हैं। वित्त वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए भविष्य निधि की शेष राशि पर प्रतिवर्ष 8.5% की दर से ब्याज दिया गया था। इस निधि में एकत्रित संपूर्ण राशि का वित्त मंत्रालय और सी.एम.पी.एफ. के न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निवेश किया जाता है । यह निधि न्यासियों के त्रिपक्षीय बोर्ड, जिसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों और केन्द्र/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं, के अधीन होती हैं और यह बोर्ड इसका संचालन करता है।

इस योजना का विस्तृत ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

विवरण	**2010-11 वास्तविक गैर-लेखा परीक्षित**	**2011-2012 (दिसम्बर,2011 तक) अनुमानित**	**2012-2013 अनुमानित**
योजना में शामिल कोयला खानों/संयत्रों की संख्या (वर्ष के अंत तक)	903	903	900
वर्ष के दौरान अद्यतन सदस्यों की संख्या (लाख में)	4.64	4.50 (लगभग)	4.46
वर्ष के दौरान स्वैच्छिक अंशदान सहित अंशदान (करोड़ रु. में)	3216.90	2950.00 (लगभग)	3200
निधि के सदस्यों को दी गई ब्याज दर	8.5%	8.50% (ब्याज की दर 2009-10 के स्तर पर अनुमोदित)	8.50% (ब्याज की अनुमानित दर न्यासी बोर्ड द्वारा बाद में अनुमोदित की जानी है।)
वर्ष के दौरान अग्रिम (करोड़ रु. में)	336.13	231.43 (लगभग)	300.00
वर्ष के दौरान भविष्य निधि की वापसी (करोड़ रु. में)	2638.95	2133.11 (लगभग)	2600
(i) निपटाए गए मामलों की संख्या (वापसी)	26555	17990	18000
(ii) प्राप्त मामलों की संख्या (वापसी)	26932	18377	25000
अधिकारियों की संख्या	32	36	36
कर्मचारियों की संख्या	959	911	886

(ख) कोयला खान पेंशन योजना, 1998

6.2 **कोयला खान पेंशन योजना, 1998** को 31.3.98 से केन्द्र सरकार द्वारा कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3ई द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कोयला खान पेंशन योजना, 1971 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 5 मार्च, 1998 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था ।

6.3 कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से प्रवृत्त हुई और उक्त तारीख को सदस्यों की संख्या 7,82,578 थी, जो देश की विभिन्न कोयला खानों में कार्यरत थे। 31.3.2011 को सीएमपीएफ के सदस्यों की संख्या 476109 सूचित की गई है। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) निधि का संग्रह और उसे कायम रखना :-

(क) नियत दिन को कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की निवल परिसंपत्तियां ;

(ख) कर्मचारी के वेतन के दो तथा एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि, जो निधि में कर्मचारी और नियोजक के अंशदान बराबर - बराबर शेयर का अपना अपना कुल अंशदान हैं, कर्मचारी की निधि से नियत दिन से अंतरित किया जाना है ;

(ग) 1 अप्रैल, 1989 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से 31मार्च, 1996 तक कर्मचारी के मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 2% के बराबर राशि और 1 अप्रैल, 1996 से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से कर्मचारी के काल्पनिक वेतन की 2% राशि उसके वेतन से अंतरित की जायेगी ;

(घ) कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिकलित एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि, कर्मचारी के वेतन से 1 जुलाई,1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से , इसमें से जो भी बाद में हो, से अंतरित की जानी है ;

(ड.) कर्मचारी के वेतन के एक तथा दो-तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का केन्द्र सरकार द्वारा नियत तारीख से अंशदान किया जाना है ;

(च) इस योजना के इच्छुक नए सदस्यों द्वारा योजना के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार राशि जमा की जाएगी ।

न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त एक बीमांकिक द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष पेंशन निधि का मूल्यांकन करवाने का प्रावधान है।

(ii) इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) वे सभी कर्मचारी, जो समाप्त की गई कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31 मार्च,1998 को कर्मचारियों की नामावली में थे।

(ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च,1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए।

(ग) ऐसे सभी इच्छुक सदस्य जिन्होंने पीएस-1 और पीएस-2 प्रपत्र जैसी भी स्थिति हो, में पेंशन निधि की सदस्यता को चुना है।

1.4.1994 से 30.3.1998 की अवधि में सेवाकाल के दौरान मृत सभी कर्मचारियों को दिनांक 18.8.2004 के जीएसआर सं. 521 के अनुसार योजना के इच्छुक सदस्यों के रूप में माना हुआ समझा गया है।

(iii) लाभ :-

(क) मासिक पेंशन
(ख) विकलांगता पेंशन
(ग) विधवा अथवा विधुर पेंशन
(घ) बाल पेंशन
(ड.) अनाथ पेंशन
(च) अनुग्रह अदायगी

6.4 केन्द्र सरकार ने 2010-11 में पेंशन निधि में 18.50 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। 2011-12 में (सं.अ0) 15.03 करोड़ रू0 और 2012-13 (ब.अ.) में 14.58 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गयी है । इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन योजना के संचालन हेतु प्रशासनिक व्यय के लिए 2010-11 में रू. 10.20 करोड़ रुपए का अंशदान किया गया। 2011-12 (सं.अ.) में 17.17 करोड़ रू0 तथा 2012-13 (ब.अ.) में 17.24 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गयी है ।

6.5 निम्नलिखित तालिका योजना के विस्तृत मानदंडों को दर्शाती है :-

क्र.सं. विवरण	2010-2011 वास्तविक (गैर-लेखा परीक्षित)	2011-2012 अनुमानित (31.12.2011 तक) (अनुमानित)	2012-2013 (अनुमानित)
(i) कोयला खान पेंशन योजना की सदस्यता (लाख में)	4.76	4.59 (लगभग)	4.40
(ii) वर्ष के दौरान पेंशन योजना में नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकार द्वारा किया गया अंशदान एवं ब्याज (करोड़ रुपए में)	1628.62	897.00 (लगभग)	1620.00
(iii) लाभों का संवितरण (समाप्त हुई परिवार पेंशन योजना और पेंशन योजना) (करोड़ रु. में)	820.74	623.40 (लगभग)	825.00
(iv) (क) परिवार पेंशन और जीवन बीमा लाभ (अब समाप्त) के निपटाए गए मामलों की संख्या (ख) निपटाए गए पेंशन के मामले	14 32454	0 21628 (लगभग)	0 25000
(v) (क) प्राप्त हुए पेंशन और जीवन बीमा लाभ के मामलों की संख्या (ख) प्राप्त हुए पेंशन मामलों की संख्या	12 32125	0 21594 (लगभग)	0 30000
(vi) निपटाए गए अन्य लाभों के मामलों की संख्या	3	18	0
(vii) प्राप्त हुए अन्य लाभों के मामलों की संख्या	3	18	0

(ग) कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976

6.6 कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना 1 अगस्त, 1976 से लागू की गई थी। सीआईएल के कार्यकारी काडर के कर्मचारियों को दिनांक 24.03.2009 की राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 822 (ई) के तहत उक्त स्कीम के प्रचालन से छूट दी गई थी। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को कोयला मंत्रालय द्वारा स्कीमों के प्रचालन से पूर्व में छूट दे दी गई थी।